शहरी विकास विभाग
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार
9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ इस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री महेन्द्र गोयल

दिनांक : 07.08.2018

विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या : 85

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि शहरी विकास विभाग दिल्ली सरकार के आदेश सख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 के अनुसार अनाधिकृत कालोनियों में स्ट्रीट लाईट डीएसआईडीसी के माध्यम से सबंधित डिस्कॉम लगायेगी;	**डी.एस.आई.आई.डी.सी** हां यह सत्य है कि आदेश संख्या WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 दिनांक 16.09.2016 को जारी हुआ था जो कि अभी तक लागू नहीं हुआ है क्योंकि डी.एम.सी. एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईट लगाने और उनके रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है और इस खर्च की भरपाई के लिए दिल्ली नगर निगम डिस्कॉम के माध्यम से विद्युत कर लेता है जो कि डिस्कॉम द्वारा उनके उपभोक्ताओं से लिया जाता है आज भी स्ट्रीट लाईट के रखरखाव का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। इस संदर्भ में 19 जनवरी, 2018 को माननीय मंत्री जी द्वारा मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह निर्णय हुआ था कि लाईटों के रखरखाव का काम दिल्ली नगर निगम द्वारा ही किया जाएगा। **बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड** जी हां। ऑफिस ऑर्डर संख्या न0 WPC3569/UC-1/UD/CD-021295572/1627-1643 के तहत अनधिकृत कॉलोनी में DSIDC DISCOM द्वारा स्ट्रीट लाईटस मुहैया कराएगा। (संलग्न 'क')
ख	यदि हां, तो डीएसआईडीसी को इस कार्य के लिए कितना फंड आबंटित किया गया है;	**डी.एस.आई.आई.डी.सी** इस संदर्भ में कोई भी फंड आवंटित नहीं है।
ग	यदि डिस्कॉम डीएसआईडीसी के अनुरोध पर अनाधिकृत कालोनी में स्ट्रीट लाइट लगा दी तो उसके बाद रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की होगी;	**डी.एस.आई.आई.डी.सी** डी.एम.सी.एक्ट के सेक्शन 329 के अनुसार स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। **उत्तरी दिल्ली नगर निगम** इन स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव की जिम्मेदारी डीएसआईआईडीसी की होगी **बी.एस.ई.एस यमुना पावर लिमिटेड** दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड एव बी.एस.ई.एस यमुना पावर लिमिटेड के बीच स्ट्रीट लाईट मेंटेनन्स से संबंधित कोई अनुबंध नहीं हुआ है। **बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड** अभी तक DSIDC से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ हैं। **पूर्वी दिल्ली नगर निगम** इन लाईटों की जिम्मेदारी डीएसआईडीसी की होगी।

घ	दिल्ली नगर निगम को लाईटों की मरम्मत के लिए अलग से कितना प्रतिशत टैक्स दिया जाता है; और	**<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** उत्तरी दिल्ली नगर निगम को लाईटों की मरम्मत के लिए अलग से कोई टैक्स नहीं दिया जाता। **<u>बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड</u>** MCD एक्ट के अनुसार 5 प्रतिशत शुल्क का प्रावधान हैं। **<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>** दिल्ली नगर निगम को लाईटों की मरम्मत के लिए अलग से कोई टैक्स नहीं दिया जाता।
ड़	क्या यह भी सत्य है कि डिस्कॉम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद दिल्ली नगर निगम उन स्ट्रीट लाईटों के रखरखाव हेतु उनका हस्तातरंण नहीं लेता; पूर्ण जानकारी दें?	**<u>उत्तरी दिल्ली नगर निगम</u>** उत्तरी दिल्ली नगर निगम केवल उन्हीं लाईटों का हस्तांतरण लेता है जो कि निगम के अंन्तर्गत अधिकृत कॉलोनियों में लगाई जाती है। **<u>बी.एस.ई.एस राजधानी पावर लिमिटेड</u>** <u>जिस स्थान पर स्ट्रीट लाईटस</u> DISCOMs ने मुहैया कराई है उन जगह उचित सौंपना/अधिकार लेने की प्रक्रिया MCD तथा DISCOMs के बीच चल रही है। **<u>टी.पी.डी.डी.एल</u>** MCD केवल अधिकृत कॉलोनी में स्ट्रीट लाईटस को अधिकार में लेता है। MCD द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी में स्थित स्ट्रीट लाईटस को अधिकार में नहीं लिया जाता हैं। **<u>पूर्वी दिल्ली नगर निगम</u>** दिल्ली नगर निगम केवल उन्हीं लाईटों को हस्तांतरण लेता है, जो कि निगम के अंतर्गत अधिकृत कॉलोनियों में लगाई जाती हैं।

Dy. Secretary (UD)
Govt. of Delhi, Delhi Sectt.
I.P. Estate, New Delhi

(Annexure - I)

South Delhi Municipal Co

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
South Delhi Municipal Corporation
(Commissioner Dak Section)
SEP 2016
1498
2nd Floor, Civic Centre,
New Delhi-110002

संलग्न क्र.

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
(UNAUTHORISED COLONIES CELL)
10TH LEVEL, 'C'WING, DELHI SECRETARIAT
I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F.No.-WPC-3569/UC-II/UD/GD-021295572/ 1627-1643 Dated: 16-9-2016

ORDER

Sub: Allotment of all unauthorized colonies to the DSIIDC in respect of street light installation and maintenance work.

In partial modification of order No. F.No.1/33/UC/UD/Policy/07/partfile/486 dated 29.03.2016 vide which PWD was assigned the maintenance and augmentation of street lights work in the unauthorized colonies, it has been decided, in the Meeting held on 10.08.2016 under the Chairmanship of Minister, Urban Development, that all new as well as maintenance of street lights in unauthorized colonies shall continued to be executed by concerned DISCOMs through DSIIDC so that the continuity is maintained.

2. It is therefore requested that all the above works of street lights in the unauthorized colonies may be taken up by DSIIDC in accordance with the guidelines dated 19/12/2012.

3. It is further requested that DSIIDC should also ensure proper maintenance of the street lights installed by them and already existing in the unauthorized colonies and closely supervise the said work.

4. It is also requested that DSIIDC may obtain all the records relating to installation and maintenance of street lights in unauthorized colonies (with physical and financial status UC wise) if undertaken by them along with certified copies of vouchers and expenditure statements from the PWD for records and future reference purposes.

5. This issues with the approval of the Hon'ble Minister, Urban Development.

Sd/- 15/9/2016
(Lakshmi Krishnan)
Dy. Secretary (UC)

Executive Engineer
Dy. No. 101
Date 4/10
SDMC

Copy for necessary action:
1. Secretary, Public Works Department, GNCTD, 5th floor, Delhi Secretariat, New Delhi.
2. Commissioners, East DMC,Patparganj Industrial area, Delhi
3. Commissioner, North DMC, Civic Centre, New Delhi
4. Commissioner, South DMC, Civic Centre, New Delhi
5. Managing Director, DSIIDC, Connaught Place, New Delhi.
6. C.E.O., NDPL, Kingsway Camp, Delhi
7. C.E.O., BSES, Nehru Place, New Delhi
8. C.E.O., BYPL, Karkardooma, New Delhi.

Chief Engineer (Electrical)
Diary No. 1260
Date 21/9/16
South Delhi Municipal Corporation

Copy for information to:-
1. Pr. Secretary to Hon'ble Chief Minister, Delhi Secretariat, New Delhi.
2. Secretary to Minister of UD , Delhi Secretariat, New Delhi.
3. Secretary to Minister (PWD), GNCTD, Delhi Secretariat
4. The Special Secretary (UD-II/Plg). UD Department, GNCTD, New Delhi.
5. The Director (Planning), Planning Department, GNCTD, 6th level, Delhi Sectt.
6. PS to Pr. Secretary (UD), UD Department, GNCTD, New Delhi.
7. Joint Director (Planning), UD Department, New Delhi.
8. PA to Special Secretary (UC) UD Department, New Delhi.
9. PA to Joint Secretary (UC) UD Department, New Delhi.

Sd/- 15/9/2016
(Lakshmi Krishnan)
Dy. Secretary (UC)

EE(E)/SZ ENG7
30/09/16

Scanned by CamScanner